आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
8/3/22	पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] तहसीलदार (उपनिवेशन)/ [illegible] अनुपस्थित तथा तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की। बहस प्रा० पत्र हेतु दिनांक 12.3.2022 [illegible] पेश हो। [signature] 8/3/22	पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए उपरोक्त पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक [illegible] पत्थरगढ़ी [illegible] किये जाते हैं तो [illegible] को कोई आपत्ति नहीं है। [signature] 08/03/2022
15.3.22	दिनांक 12.3.22 एवं 13.3.22 का राजकीय अवकाश होने पर पत्रावली आज पेश हुई। बहस प्रा० पत्र श्रवण की गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान वकील की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ० धारा 110, 128 LR Act वास्ते पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित करवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.3.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 15/3/22	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:30:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्याः– 353/2021 — दर्ज दिनांकः– 16.12.2021

जी.सी.एम.एस.नं.–2021/1636 — निर्णय दिनांकः– 15.03.2022

1 खेमचन्द पुत्र मालाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

2 रामकुवार पुत्र मालाराम जाति माली निवासी किशोरपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रार्थीगण

बनाम

भूमि धारक तहसीलदार गुढा गौड़जी जिला झुन्झुनू

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 110, 128 एल.आर.एक्ट वास्ते पत्थरगढी

निर्णय

दिनांकः– 15.03.2022

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गुढा गौड़जी पटवार हल्का गुढा गौड़जी की सरहद में वर्तमान भूमि ख0न0 2280 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 2110 रकबा 1.90 है0, खसरा नम्बर 3357/2077 रकबा 0.55 है0, खसरा नम्बर 3368/2111 रकबा 0.33 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 3.02 है0 भूमि अवस्थित है उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी नं0 1 के नाम दर्ज हैं। ग्राम गुढा गौड़जी पटवार हल्का गुढा गौड़जी की सरहद में वर्तमान भूमि ख0न0 2077 रकबा 0.94 है0, खसरा नम्बर 2011 रकबा 0.57 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.51 है0 भूमि अवस्थित है उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी नं0 2 के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। प्रार्थी नं0 1 ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2017 को श्रीमान तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांक 6 दिनांक 13.04.2017 की पालना में करवाया है। प्रार्थी नं0 2 ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2017 को श्रीमान तहसीलदार महोदय उदयपुरवाटी के आदेश क्रमांक 8 दिनांक 13.04.2017 की पालना में करवाया है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नम्बर 2077/1 व 2111/1 का सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2017 की पालना में पटवार हल्का गुढा गौड़जी ने किया है जिसका नाप जोख फर्द मौका रिपोर्ट से अंकित किया है तथा मौके पर पक्षकारों के हस्ताक्षर करवाये गए है। अन्य खातेदारों से सीमा का अनावश्यक विवाद होता हैं अतः प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है [illegible] गुढा गौड़जी की सरहद में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2080 [illegible]10, [illegible]7/2077, 3368/2111, 2077, 2011 की पत्थरगढी सीमाज्ञान [illegible] जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:30:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जवाबदेही की गई। अप्रार्थी तहसीलदार ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि संलग्न सीमाज्ञान फर्दो के मुताबिक पत्थरगढी हेतु आदेश दिये जाते हैं तो हमें कोई आपति नहीं हैं।

बहस प्रार्थना पत्र श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा सीमाज्ञान के अनुसार मौके पर सीमाचिन्ह कायम करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए मुताबिक फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.04.2017 पत्थगढी आदेश पारित किये जाते हैं तो अप्रार्थी को कोई आपति नहीं हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी ग्राम गुढा गौड़जी पटवार हल्का गुढा गौडजी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2080, 2110, 3357/2077, 3368/2111, 2077, 2011 का प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना साबित है। उक्त वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2017 को हो चुका है। प्रार्थीगण सीमाज्ञान के अनुसार अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाना चाहता है। उक्त विवेचन से प्रार्थीगण अनावश्यक विवादों से बचने के लिए अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं पर सीमाचिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार गुढा गौड़जी को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम गुढा गौड़जी पटवार हल्का गुढा गौड़जी की सरहद में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2080, 2110, 3357/2077, 3368/2111, 2077, 2011 की पत्थरगढी मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 23.04.2017 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाचिन्ह यानी पत्थरगडी करवावे।

15/3/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/3/22
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:30:17 IST
Reason: SelfAttested